IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अभियंत्रण अनुभाग — मुख्यालय

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक : 4077 / डब्लू—81 / 26 दिनांक: 31.10.2019

सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान सम्बन्धी विवाद का निस्तारण करने हेतु विवाचक पैनल सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों जैसे न्यायाधीश, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारियों से आवेदन पत्र निम्न प्रारूप पर आमन्त्रित किये जाते हैं:—

क्र. सं0	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	वर्तमान में सेवारत / सेवानिवृत्त	स्थायी पता	मोबईल नं0	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8

नियम व शर्तें :

1. सेवा निवृत्त न्यायाधीशों / मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं को किसी एक विवाद में मध्यस्थता के लिये मध्यस्थ को अनुमन्य मानदेय की अधिकतम् सीमा इस प्रकार होगी:—

- पचास लाख रूपये तक के विवादों में स्थानीय सुनवाई कार्य हेतु रू0 1250.00 (रू0 एक हजार दो सौ पचास मात्र) प्रति कार्य दिवस तथा अन्यन्त्र स्थान पर सुनवाई कार्य हेतु रू0 2500.00 (रू0 दो हजार पॉच सौ मात्र) प्रति कार्य दिवस तथा अधिकतम धनराशि रू0 37,500.00 (रू0 सैंतीस हजार पॉच सौ मात्र) होगी।
- पचास लाख से अधिक के विवादों के स्थानीय सुनवाई कार्य हेतु रू0 1250.00 (रू0 एक हजार दो सौ पचास मात्र) प्रति कार्य दिवस तथा अन्यन्त्र स्थान पर सुनवाई कार्य हेतु रू0 2500.00 (रू0 दो हजार पॉच सौ मात्र) प्रति कार्य दिवस तथा अधिकतम धनराशि रू0 62,500.00 (रू0 बासठ हजार पॉच सौ मात्र) होगी।

2. सेवारत न्यायिक अधिकारियों / विधि अधिकारियों / मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता के लिए प्रस्तर—क तथा ख में वर्णित प्रति कार्य दिवस के लिए निर्धारित दरों का आधी दर पर मानदेय अनुमन्य होगा परन्तु अधिकतम सीमा क्रमशः सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये तथा बासठ हजार पॉच सौ रूपये होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नवत् अन्य शुल्क आदि को पूर्ववत् रखा जायेगा:—

- विवाचक के द्वारा मध्यस्थता के कार्य हेतु की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता नियमानुसार देय होगा।
- मध्यस्था के कार्य में निहित आशुलेखन / टंकण एवं लिपिकीय कार्य हेतु मध्यस्थ द्वारा किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार देय होगा।
- विवाचक द्वारा अपना अवार्ड आर्बीट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर किया जायेगा।
- विवाचक द्वारा जो अवार्ड न्यायालय में भेजा जायेगा, उसके लिए न्यायालय शुल्क आदि नियमानुसार देय होगा।
- उपरोक्त क्रम संख्या—1 व 2 पर उल्लिखित धनराशि के अतिरिक्त वास्तविक विविध व्यय का भुगतान भी नियमानुसार देय होगा।

3. आवेदन करने वाले अधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय / शासन / विभागीय आदि कोई जॉच विचाराधीन नहीं है।

आवेदन पत्र निम्न पते पर प्रेषित करें :—

मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ—226001

मुख्य अभियन्ता